उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-04/ग्यारह-2-23-9(42)/17-टी.सी.65-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(267)-2023

लखनऊः दिनांकः २० मार्च, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उनसठवां संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उनसठवां संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह तारीख 26 दिसम्बर, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी । परन्तु यह और कि इस अधिसूचना के नियम 2 के खण्ड (iv) एवं (v) के उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये ।
नियम 8 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 8 में,- (i) उप-नियम (1) में, शब्द और अक्षर "मोबाइल नंबर, ई-मेल पता," निकाल दिये जायेंगे; (ii) उप-नियम (2) में, खंड (क) में, शब्द "प्रत्यक्ष कर" के पश्चात्, शब्द "और स्थायी लेखा संख्या से जुडे मोबाइल नंबर और ई-मेल पते पर भेजे गए पृथक् वन-टाइम पासवर्ड के माध्यम से भी सत्यापित किया जाएगा" बढ़ा दिये जायेंगे; (iii) उप-नियम (2) में, खंड (ख) और (ग) को निकाल दिया जाएगा; (iv) उप-नियम (4क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:- "(4क) धारा 25 की उप-धारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उप-नियम (4) के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन के पश्चात् जिसने आधार संख्या के अधिप्रमाणन का विकल्प चुना है और जो सामान्य पोर्टल पर, डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, पहचाना जाता है, बायोमेट्रिक-आधारित आधार अधिप्रमाणन किया जाएगा और आवेदक की फोटो ली जाएगी, जहां आवेदक एक व्यक्ति है या जहां आवेदक एक व्यक्ति नहीं है, आवेदक के संबंध में ऐसे व्यक्तियों की जो धारा 25 की उप-धारा (6 ग) के

		अधीन अधिसूचित है, इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों में से एक पर प्ररूप जीएसटी आरइजी-01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन के साथ, और इस उप-नियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात् ही आवेदन को पूर्ण समझा जाएगा।"; (v) उप-नियम (5) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उप-नियम (4)" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "या उप-नियम (4क)" रख दिये जाएंगे।
नियम 9 का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में नियम 9 में, - (i) उप-नियम (1) में, परंतुक में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- "(कक) ऐसा व्यक्ति, जो नियम 8 के उप-नियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या के अधिप्रमाणन प्रक्रिया से गुज़रा है, उसके कारबार के स्थानों का वास्तविक सत्यापन करने के लिए, आकडा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या"; (ii) उप-नियम (2) में, परंतुक में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- "(कक) ऐसा व्यक्ति, जो नियम 8 के उप-नियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या के अधिप्रमाणन प्रक्रिया से गुज़रा है, उसके कारबार के स्थानों का वास्तविक सत्यापन करने के लिए, आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या"।
नियम 12 का संशोधन	4.	उक्त नियमावली में, नियम 12 में, उप-नियम (3) में, शब्द "जहां" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक और अंक "किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर जिसे उप-नियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है या" रख दिये जाएंगे;
नियम 37 का संशोधन	5.	1 अक्टूबर, 2022 से उक्त नियमावली के नियम 37 में उप-नियम (1) में, - (i) शब्द "ऐसी पूर्ति के मूल्य का" के पश्चात्, शब्द "चाहे पूर्णतः या अंशत:" बढ़ा दिये जाएंगे; (ii) शब्द "भुगतान करेगा" के पश्चात्, "या उत्क्रम" शब्द रख दिये जायेंगे; (iii) शब्द "ऐसी पूर्ति के संबंध में" के पश्चात्, अक्षर और शब्द "पूर्तिकर्ता को संदत न की गई धनराशि के अनुपात में" रख दिये जाएंगे।

नियम 37 का संशोधन	6.	उक्त नियमावली में, नियम 37 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: - **"37क. पूर्तिकर्ता द्वारा कर असंदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय की वापसी और उसका पुन: उपभोग-** जहां एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया हो, ऐसे बीजक या डेबिट नोट के संबंध में, जिसका विवरण पूर्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए जावक पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किया गया हो, किन्तु वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् 30 सितंबर तक ऐसे पूर्तिकर्ता द्वारा उक्त कर अवधि के जावक पूर्ति के विवरण के अनुरूप प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत न किया गया हो, जिसमें ऐसे बीजक या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया हो, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर प्रत्यय की कथित धनराशि को, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् 30 नवंबर या उससे पहले प्ररूप जीएसटीआर-3ख में रिटर्न दाखिल करते समय, वापस किया जाएगा: परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय की उक्त धनराशि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी में 30 नवंबर को या उससे पहले ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् वापस न की जाती हो, जिसके दौरान इस तरह के इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया हो, ऐसी धनराशि उक्त व्यक्ति द्वारा धारा 50 के अधीन उस पर ब्याज सहित संदेय होगी। परन्तु यह और कि जहां उक्त पूर्तिकर्ता, बाद में, उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके पश्चात की कर अवधि के लिए प्रस्तुत प्ररूप जीएसटीआर-3ख विवरणी में इस तरह के प्रत्यय की धनराशि का पुनः उपभोग कर सकता है।"
नियम 46 का संशोधन	7.	उक्त नियमावली में नियम 46 के खंड (च) में निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु यह कि जहां कोई कर योग्य सेवा किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा या उसके माध्यम से या ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं के पूर्तिकर्ता द्वारा एक प्राप्तिकर्ता को पूर्ति की जाती है, जो अरजिस्ट्रीकृत है, ऐसी पूर्ति के मूल्य के बावजूद, एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किये गये कर बीजक में प्राप्तिकर्ता का नाम और पता के साथ उसका पिन कोड और राज्य के नाम अंतर्विष्ट करना होगा और उक्त पते को प्राप्तिकर्ता के रिकॉर्ड पर पता समझा जाएगा।"
नियम 46क का संशोधन	8.	उक्त नियमावली में, नियम 46क में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु उक्त एकल "पूर्ति का बीजक-सह-बिल" में यथास्थिति नियम 46 या

		नियम 54 और नियम 49 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी";
नियम 59 का संशोधन	9.	उक्त नियमावली में, नियम 59 में उपनियम (6) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "(घ) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे कर अवधि के संबंध में नियम 88ग के उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन सामान्य पोर्टल पर एक सूचना जारी की गई है, को धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के जावक पूर्ति के ब्यौरे, पश्चात्वर्ती कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी या, जब तक कि उसने या तो उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट धनराशि जमा न की हो या किसी असंदत्त धनराशि के कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रत्युत्तर प्रस्तुत न किया हो जो नियम 88ग के उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित है।"
नियम 87 का संशोधन	10.	उक्त नियमावली के नियम 87 के उपनियम (8) में निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु जहां बैंक सामान्य पोर्टल पर चालान पहचान संख्या के विवरण को संप्रेषित करने में विफल रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को उन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के ई-स्क्रॉल के आधार पर अपडेट किया जा सकता है जहां उक्त ई-स्क्रॉल की कॉमन पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में उत्पन्न चालान के ब्यौरे के साथ अनुरुपता है ।
नियम 88ख का संशोधन	11.	उक्त नियमावली में, नियम 88ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- **"88 ग. जावक पूर्तियों के ब्योरौ और विवरणी में रिपोर्ट किए गए दायित्व में अंतर के संबंध की रीति.**–जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय कर, उक्त कर अवधि के संबंध में, प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए में, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए जावक प्रदाय के ब्योरौ के अनुसार, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई उस अवधि के लिए विवरणी के अनुसार उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय कर की धनराशि से अधिक है, ऐसी धनराशि या ऐसे प्रतिशत से, जो कि परिषद् द्वारा अनुशंसित किया जाए, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01ख के भाग क में इस तरह के अंतर के संबंध में सूचित किया जाएगा और उक्त अंतर को उजागर करते हुए ऐसी सूचना की एक प्रति, रजिस्ट्रीकरण के समय प्रदान किए गए या समय-समय पर संशोधित किए गए, उसके ई-मेल पते पर भी भेजी जाएगी और उसे निदेशित किया जाएगा कि या तो - (क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, अंतर कर देयता का संदाय करें, या

		(ख) सामान्य पोर्टल पर संदेय कर में पूर्वोक्त अंतर का सात दिनों की अवधि के भीतर स्पष्टीकरण करें, (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस उप-नियम में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, या तो - (क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख के भाग क में विनिर्दिष्ट अंतर कर देयता की धनराशि का संदाय पूर्णतः या आंशिक रूप से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से करें और उसके विवरण को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-1ख के भाग ख में प्रस्तुत करें; या (ख) सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख के भाग ख में असंदत्त कर देयता के उस हिस्से के संबंध में कारणों को शामिल करते हुए, जो असंदत्त रह गया है, यदि कोई हो, एक प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें, उक्त उपनियम मे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर। (3) जहां उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना में निर्दिष्ट कोई भी राशि उस उप-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर असंदत्त रहती है और जहां कोई स्पष्टीकरण या कारण रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां स्पष्टीकरण या कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, उक्त राशि धारा 79 के उपबंधों के अनुसार वसूली योग्य होगी।"।
नियम 89 का संशोधन	12.	उक्त नियमावली में, नियम 89 में, उपनियम (2) में,- (i) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जाएगें, अर्थात्: - "(टक) एक विवरण जिसमें बीजकों का विवरण अंतर्विष्ट है, अर्थात् संख्या, तारीख, मूल्य, संदत्त कर और संदाय का ब्यौरा, जिसके संबंध में धनवापसी का दावा किया जा रहा है, ऐसे बीजकों की प्रति, पूर्तिकर्ता को इस तरह के संदाय का प्रमाण, समझौते या रजिस्ट्रीकृत समझौते या अनुबंध की प्रति, जो भी लागू हो, सेवा की पूर्ति के लिए पूर्तिकर्ता के साथ दर्ज किया गया, पूर्तिकर्ता द्वारा सेवा की पूर्ति के लिए समझौते या करार को रद्द करने या समाप्त करने के लिए जारी किया गया पत्र, पूर्तिकर्ता से प्राप्त संदाय का विवरण, इस तरह के समझौते को रद्द करने या समाप्त करने के प्रमाण के साथ, किसी मामले में जहां किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धनवापसी का दावा किया जाता है जहां सेवा की आपूर्ति के लिए करार या संविदा को रद्द या समाप्त कर दिया गया है;

		(टख) पूर्तिकर्ता द्वारा इस आशय से जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र कि उसने बीजक के संबंध में कर का संदाय किया है, जिस पर आवेदक द्वारा धनवापसी का दावा किया जा रहा है; कि उसने क्रेडिट नोट जारी करके इन बीजकों में अंतर्विष्ट कर धनराशि को अपनी कर देयता के विरुद्ध समायोजित नहीं किया है; और यह भी, कि उसने इन बीजकों के संबंध में अंतर्विष्ट कर की धनराशि की वापसी दावा नहीं किया है और न ही करेगा, ऐसे मामले में जहां किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धनवापसी का दावा किया जाता है जहां सेवा की पूर्ति के लिए करार या संविदा रद्द कर दी गई है या समाप्त कर दी गई है;" (ii) खंड (ड) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: - "परंतुक यह और कि उन मामलों में जहां ऐसे अरजिस्ट्रिकृत व्यक्ति द्वारा धनवापसी का दावा किया गया है जिसने कर भरना वहन किया हो, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है।"
नियम 108 का संशोधन	13.	उक्त नियमावली के नियम 108 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:- "(3) जहां उस विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया है, वहां एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपील प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जाएगा: परंतु यह कि जहां उस विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है, वहां अपीलार्थी, प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर उक्त विनिश्चय या आदेश की एक स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा और एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपील प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी, और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जाएगा : परंतु जहां विनिश्चय या आदेश की उक्त स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, ऐसी प्रति जमा करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख के रूप में माना जाएगा।"
नियम 109 का संशोधन	14.	उक्त नियमावली के नियम 109 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

		"109 अपील प्राधिकारी को आवेदन.- (1) धारा 107 की उप-धारा (2) के अधीन अपील प्राधिकारी को एक आवेदन प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 में सुसंगत दस्तावेजों के साथ, या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए, फाइल की जाएगी और अपीलार्थी को तुरंत एक अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी। (2) जहां उस विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया है, वहां एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपील प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को उप-नियम (1) के अधीन अपील फाइल करने की तारीख के रूप में माना जाएगा: परंतु यह कि जहां उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, वहां अपीलार्थी प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर उक्त विनिश्चय या आदेश की एक स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा और एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपील प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी, और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जाएगा: परंतु यह और कि जहां उक्त विनिश्चय या आदेश की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, ऐसी प्रति जमा करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख के रूप में माना जाएगा।"
नियम 109ख का संशोधन	15.	उक्त नियमावली में, नियम 109ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- **"109ग अपील वापस लेना** - अपीलार्थी, धारा 107 की उप-धारा (II) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व या उक्त उप-धारा के अधीन आदेश जारी करने से पूर्व, जो भी पहले हो, प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 के संबंध में फाइल की गई किसी भी अपील को प्ररूप जीएसटी एपीएल-01/03W में एक आवेदन फाइल करके उक्त अपील को वापस ले सकेगा: परंतु यह कि जहां प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम अभिस्वीकृति जारी की गई है, वहां उक्त अपील की वापसी अपील प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी और अपील को वापस लेने के लिए ऐसे आवेदन को फाइल करने के सात दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी द्वारा आवेदन पर विनिश्चय किया जाएगा: परंतु यह और कि अपीलार्थी द्वारा ऐसी वापसी के अनुसरण में फाइल की गई कोई भी नई अपील धारा 107 की यथा स्थिति, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में

		विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर फाइल की जाएगी।
नियम 138 का संशोधन	16.	उक्त नियमावली के नियम 138 में, उपनियम (14) में उपाबंध में, सारणी के स्तम्भ (2) में, क्रम संख्या 5, के समक्ष कोष्ठक, शब्द और अंक "(अध्याय 71)" के पश्चात्, शब्द कोष्ठक और अंक "नकली आभूषण (7117) के सिवाय" बढ़ा दिये जाएंगे।
नियम 161 का संशोधन	17.	उक्त नियमावली के नियम 161 में, शब्द "आदेश" के स्थान पर, शब्द "सूचना या नोटिस" रख दिये जायेंगे।
प्ररूप जीएसटी आरईजी-01	18.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में, - (i) भाग क में, टिप्पणी में, शब्द "आवेदन फाइल करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अपना मोबाइल संख्या और ई-मेल पता देना होगा।", के स्थान पर, शब्द "आवेदक के स्थायी लेखा संख्या से सहबद्ध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर आयकर डेटाबेस से स्वतः भरे जाएंगे।" रख दिये जाएंगे ; (ii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन जमा करने के अनुदेश में, पैरा 2 निकाल दिया जाएगा।
प्ररूप जीएसटी आरईजी-17	19.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-17 में, शब्द "योग्यता के आधार पर" के पश्चात, निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:- "कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज़ (दस्तावेज़ों) को देखें।";

20. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात्: -

" प्ररूप जीएसटी आरईजी -19

[नियम 22(3) देखें]

संदर्भ संख्या तारीख

सेवा में

नाम

पता

जीएसटीआईएन/यूआईएन

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) तारीख

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश

यह तारीख ----- को जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में है

• चूंकि, कारण बताओ नोटिस का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है;

और, चूंकि इस कार्यालय के पास उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि

आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने योग्य है: या

चूंकि, कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर <एआरएन नंबर> तारीख _____ द्वारा प्रस्तुत किया गया है;

और चूंकि, कारण बताओ नोटिस के आपके प्रत्युत्तर की जांच करने पर और इस कार्यालय के पास उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने योग्य है: या

• और चूंकि कारण बताओ नोटिस का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित दिन पर, आप व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए;

और चूंकि, इस कार्यालय के पास उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है: या

और यूंकि कारण बताओ नोटिस का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, किन्तु आप/आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया और लिखित या मौखिक प्रस्तुति दी;

और, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान और इस कार्यालय के पास उपलब्ध अभिलेख के आधार पर किए गए आपके लिखित या मौखिक प्रस्तुतीकरण की जांच करने पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है: या

और चूंकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर <एआरएन नंबर> तारीख _____ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किन्तु, आप या आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित या विस्तारित तारीख पर व्यक्तिगत सुनवाई में सम्मिलित नहीं हुए;

और, चूंकि कारण बताओ नोटिस के आपके प्रत्युत्तर की जांच करने पर और इस कार्यालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है: या

कारण बताओ नोटिस का उत्तर <एआरएन नंबर> तारीख _____ द्वारा प्रस्तुत किया गया है और आप/आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान एक लिखित/मौखिक प्रस्तुति दी;

और, अधोहस्ताक्षरी ने कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई के समय की गयी प्रस्तुतियों की जांच की है और उनकी राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है:

i)

ii)

आपके रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की प्रभावी तारीख <<दिन/मास /वर्ष>> है।

2. कृपया मामला विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज (दस्तावेजों) देखें।

3. यह दृष्टव्य है कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन विवरणी भरने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप जीएसटीआर-10 में अंतिम विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. आपको अपनी सभी लंबित विवरणी भरनी अपेक्षित है।

5. यह दृष्टव्य है कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य देयों का देयता या रद्द करने की तारीख से पूर्व किसी अवधि के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए

गए नियमों के अधीन किसी दायित्व का निर्वहन करने की बाध्यता प्रभावित नहीं होगी चाहे ऐसे कर और अन्य देय रद्द करने की तारीख से पूर्व या पश्चात अवधारित किए जाएं।

स्थान :
तारीख:

हस्ताक्षर
<अधिकारी का नाम>
पद
अधिकारिता"।

21. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-1 में, -

(क) बॉक्स में, -

(i) शब्द "वर्ष" के स्थान पर, शब्द "वित्तीय वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(ii) शब्द "माह" के स्थान पर शब्द "कर अवधि" रख दिये जायेंगे;

(ख) सारणी 3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रख दी जाएगी, अर्थात्:-

"3.	(क)	एआरएन	<ऑटो>
	(ख)	एआरएन की तारीख	<ऑटो>

(ग) सारणी 4क में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i) प्रर्तिवर्ती प्रभार से संबंधी और (ii) ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से कृतपूर्ति" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "प्रर्तिवर्ती प्रभार से संबंधी (ई-वाणिज्य प्रचालक से संबंधी टीसीएस के माध्यम से कृत पूर्ति सहित)" रख दिये जाएंगे;

(घ) सारणी 4ग और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी ;

(ङ) सारणी 5क में, अंक, अक्षर, शब्द और कोष्ठक "5क जावक पूर्तियाँ (ई-वाणिज्य प्रचालक दर वार के माध्यम से कृत पूर्तियों से भिन्न)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अक्षर "जावक पूर्तियाँ (ई-वाणिज्य प्रचालक दर-वार के माध्यम से कृत पूर्तियों सहित)" रख दिये जाएंगे ;

(च) सारणी 5ख और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी ;

(छ) सारणी 7 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रख दी जाएगी, अर्थात् :--

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य	धनराशि			
		एकीकृत	केंद्रीय	राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
7क. अंतरराज्यिक पूर्तियां					
समेकित दर-वार जावक पूर्ति (टी सी एस संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से कृत					

पूर्ति सहित)					
7ख. अंतरराज्यिक पूर्तियाँ, जहां बीजक मूल्य 2.5 लाख रुपए तक हो [दर-वार] समेकित दर-वार जावक पूर्तियाँ [टी सी एस संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई पूर्ति सहित]					
पूर्ति का स्थान (राज्य का नाम)					

(ज) सारणी 9 में,--

(i) शब्द "नामे नोट, जमा पत्र, प्रतिदाय वाउचर" के स्थान पर, शब्द "नामे नोट और जमा पत्र" रख दिये जाएंगे;

(ii) शब्द और अक्षर "दस्तावेज का संशोधित ब्यौरे या मूल डेबिट या क्रेडिट नोट या प्रतिदाय वाऊचर के ब्यौरे" के स्थान पर, शब्द और अक्षर "दस्तावेज का संशोधित ब्यौरा या मूल डेबिट या क्रेडिट नोट का ब्यौरा" रख दिये जाएंगे;

(iii) उपशीर्षक के स्तंभ 2 और स्तंभ 3 में, "बीजक" शब्द निकाल दिया जाएगा;

(iv) उपशीर्षक के स्तंभ 5 और स्तंभ 6 में, शब्द "बीजक" के स्थान पर, शब्द "दस्तावेज" रख दिया जायेगा;

(झ) सारणी 9क में, शब्द "यदि बीजक/पोत परिवहन पत्र में दिए गए ब्यौरे गलत थे" के स्थान पर, शब्द "पहले प्रस्तुत बीजक/पोत परिवहन पत्र में दिए गए ब्यौरों का संशोधन" रख दिये जायेंगे ;

(ञ) सारणी 9ख में, शब्द "प्रतिदाय वाऊचर" निकाल दिये जायेंगे ;

(ट) सारणी 9ग में, शब्द और कोष्ठक "नामे नोट/ जमा पत्र /प्रतिदाय वाउचर [उसके संशोधन]" के स्थान पर, शब्द और कोष्ठक "नामे नोट/ जमा पत्र (संशोधित)" रख दिये जायेंगे ;

(ठ) सारणी 10 में, शब्द "माह" के स्थान पर, शब्द "माह/तिमाही" रख दिये जाएंगे ;

(ड) सारणी 10क(1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निकाल दिया जाएगा ;

(ढ) सारणी 10ख(1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निकाल दिया जाएगा ;

(ण) सारणी 11 के शीर्षक में, शब्द "पूर्वत्तर कर अवधि" के पश्चात्, कोष्ठक और शब्द "(शुद्ध प्रतिदाय वाउचर, यदि कोई हो)" रख दिये जाएंगे ;

(त) सारणी 12 के उपशीर्षक के स्तंभ 3 में, कोष्ठक और शब्द "(वैकल्पिक, यदि एचएसएन प्रदान किया गया हो)" निकाल दिये जायेंगे ;

(थ) सारणी 13 के पश्चात् और सत्यापन से पूर्व, निम्नलिखित सारणियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :--

"14. ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से कृत पूर्तियों के ब्यौरे, जिस पर ई-वाणिज्य प्रचालक, अधिनियम की धारा 52 या धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी है [रिपोर्ट करने के लिए पूर्तिकर्ता]

पूर्ति की प्रकृति	ई-वाणिज्य प्रचालन का जी एस टी आई एन	पूर्तियों का कुल मूल्य	कर की धनराशि			
			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
(क) पूर्ति, जिन पर ई-वाणिज्य प्रचालन धारा 52 के अधीन कर संग्रह करने का दायी है						
(ख) पूर्ति, जिन पर ई-वाणिज्य प्रचालन धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी है						

14क. ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरों का संशोधन, जिस पर ई-वाणिज्य प्रचालन, अधिनियम की धारा 52 के अधीन कर संग्रह करने के दायी हैं या धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं

पूर्ति की प्रकृति	मूल ब्यौरे		संशोधित ब्यौरे	पूर्तियों का कुल मूल्य	कर की धनराशि			
	माह/तिमाही	ई-वाणिज्य प्रचालन का जी एस टी आई एन	ई-वाणिज्य आपरेटर का जी एस टी आई एन		एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ) पूर्ति, जिन पर ई-वाणिज्य प्रचालन धारा 52 के अधीन कर								

संग्रह करने का दायी है								
(आ) पूर्ति, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी है								

15. ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई पूर्तियों का ब्यौरा, जिस पर ई-वाणिज्य प्रचालक, धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं [ई-वाणिज्य प्रचालक की रिपोर्ट करने के लिए]

पूर्तिकर्ता का प्रकार	प्राप्तिकर्ता का प्रकार	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	प्राप्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	दस्तावेज संख्या	दस्तावेज तारीख	दर	की गई पूर्ति का मूल्य	कर की रकम				पूर्ति का स्थान
								एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रजिस्ट्रीकृत	रजिस्ट्रीकृत											
	अरजिस्ट्रीकृत											
अरजिस्ट्रीकृत	रजिस्ट्रीकृत											
	अरजिस्ट्रीकृत											

15क(I). ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरों का संशोधन, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करने के लिए, रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ताओं के लिए]

पूर्तिकर्ता का प्रकार	मूल ब्यौरे				संशोधित ब्यौरे				दर	की गई पूर्ति का मूल्य	कर की धनराशि				पूर्ति का स्थान
	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	प्राप्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	दस्तावेज संख्या	दस्तावेज तारीख	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	प्राप्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	दस्तावेज संख्या	दस्तावेज तारीख			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
रजिस्ट्रीकृत															
अरजिस्ट्रीकृत															

15क(II). ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरों का संशोधन, जिस पर ई-वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं [ई-वाणिज्य प्रचालन को रिपोर्ट करने के लिए, रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ताओं के लिए]

पूर्तिकर्ता का प्रकार	मूल ब्यौरे		संशोधित ब्यौरे	दर	की गई पूर्ति का मूल्य	कर की धनराशि				पूर्ति का स्थान
	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	कर अवधि	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रजिस्ट्रीकृत										
अरजिस्ट्रीकृत										”;

(द) अनुदेशों के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

“क. सामान्य अनुदेश

1. प्रयुक्त शब्द :

क. जी एस टी आई एन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
ख. यू आई एन : यूनीक पहचान संख्या
ग. यू क्यू सी : यूनीक परिमाण कोड
घ. एच एस एन : नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
ङ. पी ओ एस : पूर्ति का स्थान (अपने अपने राज्यक्षेत्र)
च. टी सी एस : ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा स्रोत पर कर संग्रह

छ. एस ई जेड : विशेष आर्थिक जोन

ज. ई सी ओ : ई-वाणिज्य प्रचालक

झ. डी टी ए : घरेलू टैरिफ क्षेत्र

ञ बी से बी : एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पूर्ति

ट. बी से सी : एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पूर्ति

2. तिमाही के पहले दो माह (महीनों) के लिए जीएसटीआर-1 या आईएफएफ के माध्यम से बीजक ब्यौरों को फाइल करने वाले तिमाही करदाता, तिमाही के जीएसटीआर-1 को फाइल करते समय ऐसे ब्यौरों को नहीं दुहराएंगे ।

ख. सारणी विनिर्दिष्ट अनुदेश

क्रम संख्या	सारणी संख्या	अनुदेश
1	2	3
1.	4क	i. ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई पूर्तियों सहित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्ति, धारा 52 के अधीन टी सी एस से संबंधित, लेकिन रिवर्स चार्ज के आधार पर कर से संबंधित पूर्ति को छोड़कर, रिपोर्ट की जाएगी । ii. धारा 9(5) के अधीन पूर्ति, जिसके लिए ई-वाणिज्य आपरेटर कर देने के लिए दायी है, इस सारणी में रिपोर्ट नहीं की गई है । iii. प्रवेश पत्र के समावेशित होने पर एस ई जेड द्वारा की गई पूर्ति एस ई जेड इकाई/विकासकर्ता द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाएगी ।
2.	4ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्ति, रिवर्स चार्ज के आधार पर संबंधित कर को रिपोर्ट किया जाएगा । धारा 9(5) के अधीन की गई पूर्ति, जिस पर ई-वाणिज्य प्रचालक कर देने के लिए दायी है, इस सारणी में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा ।
3.	5	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो 2.50 लाख रुपए से अधिक की बीजक रखते हों, द्वारा की गई अंतरराज्यिक पूर्ति को रिपोर्ट किया जाएगा ।
4.	6क	आई जी एस टी के साथ या उसके बिना निर्यात को रिपोर्ट किया जाएगा । पोत पत्र के ब्यौरे, यदि लागू हों, बाद में सारणी 9 के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है, यदि ऐसा ब्यौरा, विवरण फाइल करते समय उपलब्ध नहीं है ।
5.	6ख	आई जी एस टी के साथ या उसके बिना, एस ई जेड इकाइयों या एस ई जेड विकासकर्ताओं को की गई पूर्ति रिपोर्ट की जाएगी ।
6.	6ग	मानित निर्यात पूर्ति की रिपोर्ट की जाएगी ।
7.	7	सारणी 5 में रिपोर्ट किए गए उन व्यक्तियों से अन्यथा अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्ति को रिपोर्ट किया जाएगा । मूल्य को जमा पक्ष और नामे नोट का योग

		होगा ।
8.	8	ऐसी पूर्तियां जिनकी कोई कर देनदारी नहीं है (शून्य रेटेड, छूट प्राप्त और गैर-जीएसटी आपूर्तियां) सूचित की जाएंगी। धारा 9(5) के अधीन ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई पूर्ति को पूर्तिकर्ता की छूट प्राप्त आपूर्ति के अधीन सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9.	9क	सारणी 4क, 4ख, 5, 6क, 6ख और 6ग में बताए गए मूल्यों में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
10.	9ख	अवधि के दौरान जारी किए गए नामे क्रेडिट और जमा पत्र की सूचना दी जाएगी।
11.	9ग	सारणी 9ख में रिपोर्ट किए गए क्रेडिट और डेबिट नोट्स में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
12.	10	सारणी 7 में रिपोर्ट की गई अरजिस्ट्रीकृत पूर्ति में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
13.	11(I)क	प्राप्त अग्रिमों की सूचना दी जाएगी। मूल्य वापसी वाउचर, यदि कोई हो, का निवल होगा।
14.	11(I)ख	अवधि के दौरान समायोजित अग्रिमों की सूचना दी जाएगी।
15.	11(II)	प्राप्त या समायोजित अग्रिमों में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
16.	12	सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एचएसएन विवरण की सूचना दी जाएगी।
17.	13	अवधि के दौरान जारी किए गए दस्तावेजों के विवरण की सूचना दी जाएगी।
18.	14 (क)	ई- वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्ररूप 4 से 10 तक किसी सारणी में रिपोर्ट की गई पूर्ति का विवरण, जिस पर ईसीओ धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर (टीसीएस) एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है, आपूर्तिकर्ता द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा।
19.	14(ख)	ईसीओ के माध्यम से की गई पूर्ति का विवरण, जिस पर ईसीओ धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, पूर्तिकर्ता द्वारा सूचित किया जाएगा। ऐसी आपूर्तियों पर कर का संदाय ईसीओ द्वारा किया जाएगा न कि आपूर्तिकर्ता द्वारा।
20.	14क(अ)	पूर्व कर अवधि में सारणी 14(क) में रिपोर्ट की गई आपूर्ति में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
21.	14क(आ)	पूर्व कर अवधि में सारणी 14(ख) में रिपोर्ट की गई आपूर्ति में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
22.	15	(i) ईसीओ उसके माध्यम से की गई पूर्ति के विवरण की रिपोर्ट करेगा, जिस पर वह धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है।
		(ii) पूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का जीएसटीआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत है, तो सूचित किया जाएगा।
		(iii) यदि प्राप्तकर्ता रजिस्ट्रीकृत है, तो ईसीओ द्वारा जारी दस्तावेजों के विवरण की सूचना दी जाएगी।

23.	15क(I)	रजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के संबंध में पूर्व की कर अवधि में सारणी 15 में रिपोर्ट किए गए विवरण में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
24.	15क(II)	अरजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के संबंध में पूर्ववर्ती कर अवधियों में सारणी 15 में रिपोर्ट किए गए विवरण में संशोधन की सूचना दी जाएगी।"।

22. उक्त नियमों में, प्रपत्र जीएसटी आरएफडी-01 में उपाबंध 1 में कथन-7 के पश्चात, निम्नलिखित कथन बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"कथन-8 [नियम 89(2)(टक)]

वापसी का प्रकार: अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए धनवापसी

क्रम संख्या	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	दस्तावेज़/बीजक के ब्यौरे				कर का संदाय				पूर्तिकर्ता को चालान मूल्य के संदाय का विवरण		रद्दीकरण/समाप्ति के विरुद्ध प्राप्त संदाय का विवरण		दावा की गई वापसी की धनराशि (आई + सी + एस + उपकर)
		दस्तावेज़ का प्रकार	संख्या	तारीख	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर (आई)	केंद्रीय कर (सी)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (एस)	उपकर	तारीख	धनराशि	तारीख	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														"।

23. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में, शीर्षक में, शब्द, अंक और कोष्ठक "नियम 108(3)" के पश्चात, शब्द, अंक और कोष्ठक "और 109 (2)" बढ़ा दिये जाएंगे।

24. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएसटी एपीएल-01/03 डब्ल्यू

[*नियम 109ग देखें*]

अपील आवेदन वापस लेने के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन:
2. व्यवसाय का नाम (विधिक) (यदि धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन अपील फाईल की जाती है)
3. अपीलार्थी का नाम और पदनाम (यदि धारा 107 की उप-धारा (2) के अधीन अपील फाईल की जाती है):
4. आदेश संख्या एवं तारीख :
5. अपील का एआरएन और तारीख :
6. निकासी के कारण:

i. निर्णायक प्राधिकारी के आदेश की स्वीकृति।

ii. समान विषय वस्तु पर उच्च अपील प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश की स्वीकृति

iii. फाईल अपील में गलतियों/चूक के सुधार के पश्चात् फिर से अपील फाईल करने की आवश्यकता है

iv. अपील में सम्मिलित धनराशि बोर्ड/आयुक्त द्वारा अपील के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम है

v. कोई अन्य कारण

7. घोषणा (धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन अपील फाईल होने की स्थिति में लागू):

मैं/हम <करदाता का नाम> इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूं/करते हैं कि यहां दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थानः

हस्ताक्षर

तारीख :

आवेदक/आवेदक
अधिकारी का नाम
पदनाम/प्रास्थिति"।

25. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख

[नियम 88ग देखें]

भाग-ए (प्रणाली जनित)

जावक पूर्तियों के विवरण में रिपोर्ट की गई देनदारी और बदले में रिपोर्ट की गई देनदारी में अंतर की सूचना

संदर्भ संख्या: **तारीख**

:

जीएसटीआईएन:

विधिक नाम:

1. यह दृष्टव्य है कि आपके द्वारा संदेय कर प्ररूप जीएसटीआर -1 में या चालान प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए, आपके द्वारा जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए रिटर्न के अनुसार आपके द्वारा संदेय किए गए कर की धनराशि की अवधि के लिए

प्ररूप जीएसटीआर-3बी <से> <से> तक रुपये की राशि से अधिक है। ..... का विवरण इस प्रकार है

प्ररुप का प्रकार	देयता घोषित/संदेय (रुपये में)				
	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	उपकर	कुल
प्ररूप जीएसटीआर-1/ आई एफ एफ					
प्ररूप जीएसटीआर-3बी					
दायित्व में अंतर					

2. नियम 88ग के उप-नियम (1) के अनुसार, आपसे अनुरोध किया जाता है कि या तो धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ उक्त अंतर कर देयता का भुगतान प्ररूप जीएसटी डीआरसी -03 के माध्यम से करें और/या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख भाग-ख में उसका विवरण प्रस्तुत करें या, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01बी के भाग-बी में उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें अंतर कर देयता के उस हिस्से के संबंध में कारणों को सम्मिलित किया गया है, जो सात दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है।

3. यह ध्यान दिया जाए कि जहां कोई धनराशि सात दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं की जाती है और जहां आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां आपके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण या कारण उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, उक्त धनराशि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 79 के उपबंधों के अनुसार वसूली योग्य होगी।

4. यह एक प्रणाली जनित सूचना है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

भाग-ख

देयता में अंतर की सूचना के संबंध में करदाता द्वारा प्रतिउत्तर

सूचना की संदर्भ संख्या: तारीख :

क. मैंने **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख** के **भाग क** में यथाविनिर्दिष्ट अंतर कर देयता की धनराशि का संदेय पूर्णतः या आंशिक रूप से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से किया है, और उसके विवरण नीचे दिए गए हैं :

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 03 का एआरएन	शीर्ष के अधीन संदाय	कर अवधि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	उपकर

और/या

ख. अंतर कर देयता के उस हिस्से के संबंध में कारण जो संदेय नहीं किया गया है, निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	अंतर के लिए संक्षिप्त कारण	विवरण (आज्ञापक)
1	**प्ररूप जीएसटीआर -3 ख** में पूर्व कर अवधि में संदत्त की गई अतिरिक्त देयता	
2	पूर्व कर अवधि के कुछ लेनदेन जिन्हें उक्त कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर -1/आईएफएफ में घोषित नहीं किया जा सकता था, लेकिन जिनके संबंध में कर का भुगतान पहले ही उक्त कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर -3 ख में किया जा चुका है और जिन्हें अब विचाराधीन कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ में घोषित किया गया है।	
3	**प्ररूप जीएसटीआर -1 / आईएफएफ** गलत विवरण के साथ फाईल किया गया है और अगली कर अवधि में संशोधित किया जाएगा (टाइपिंग त्रुटियों, गलत कर दरों आदि सहित)	
4	प्राप्त अग्रिमों की रिपोर्टिंग में त्रुटि और चालान के विरुद्ध समायोजित	
5	कोई अन्य कारण	

सत्यापन

मैं _____ सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम/प्रास्थिति:

स्थान :

तारीख:"।

26. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03

[नियम 142(2) और 142(3) देखें]

स्वैच्छिक रूप से किया गया संदाय की सूचना या किया गया कारण बताओ नोटिस (एससीएन) या विवरण [या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से अभिनिश्चित कर की सूचना

1.	जीएसटीआईएन		
2.	नाम	< ऑटो>	
3.	संदाय का कारण	<< ड्रॉप डाउन >>	
3क	गलत आईजीएसटी प्रतिदाय के लदान बिल के ब्यौरे (केवल विनिर्दिष्ट प्रवर्ग ड्राप डाउन मेन्यू में चुने जाने के लिए सक्षम है) ।	(i) लदान बिल/निर्यात बिल की संख्या और तारीख: (ii) माल के निर्यात पर संदत्त आईजीएसटी की धनराशि : (iii) रियायती दर या छूट पर निवेश की उपाप्ति के लिए उपयोग की गई अधिसूचना संख्या : (iv) अधिसूचना की तारीख : (v) प्राप्त किए गए प्रतिदाय की धनराशि : (vi) निक्षेपित किए जाने वाले गलत प्रतिदाय की धनराशि : (vii) बैंक खाते में प्रतिदाय के प्रत्यय की तारीख :	
4.	वह धारा जिसके अधीन स्वैच्छिक संदाय किया गया है ।	<< ड्रॉप डाउन >>	
5.	कारण बताओ सूचना के ब्यौरे, यदि संदाय प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से अभिनिश्चित कर के निर्गम, सूचना, संपरीक्षा, निरीक्षण, अन्वेषण, जीएसटी आरएफडी-01 के 30 दिन के भीतर किया जाता है, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	संदर्भ संख्या/एआरएन	जारी करने/फाईल करने की तारीख
6.	वित्तीय वर्ष		

7.	ब्याज और शास्ति सहित किए गए संदाय के ब्यौरे, यदि लागू हो (रुपये में धनराशि)											
क्रम संख्या	कर अवधि	अधिनियम	पूर्ति का स्थान	कर/ उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि	फीस	अन्य	योग	उपयोग किए	विकलन प्रविष्टि	विकलन प्रविष्टि

			(पीओएस)			लागू हो				गए खाते (नकद / प्रत्यय	संख्या	की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8. कारण,यदि कोई हो - << टेक्स्ट बॉक्स >>

9. सत्यापन -

मैं तदनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख .....

टिप्पणी -

1. नियम 96 के उपनियम (10) के उल्लंघन में प्राप्त एकीकृत माल और सेवा कर के गलत प्रतिदाय के निक्षेप के लिए और अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के गलत प्रतिदाय के निक्षेप के लिए, संदाय केवल नकद में ही किया जाना है ।
2. प्ररुप जीएसटी आरएफडी-01 के एआरएन को अनिवार्य रुप से उल्लिखित किया जाना चाहिए यदि संदाय का कारण चयनित किया गया है - "अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के गलत प्रतिदाय का निक्षेप" ।
3. लदान बिल के ब्यौरे उसी पैटर्न में प्रविष्ट किए जाने चाहिए जिसमें प्रतिदाय के ब्यौरे प्रविष्ट किए गए है । " ।

27. उक्त नियमावली के प्ररुप जीएसटी डी आर सी-25 में,-

(i) शब्द "पुनरीक्षण अधिकारी" के पश्चात् शब्द और अक्षर "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ii) शब्द "अपील या पुनरीक्षण के निपटान के पहले" के स्थान पर शब्द "अपील या पुनरीक्षण या किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के निपटान के पहले" रख दिये जाएंगे;

(iii) शब्द "अपील पुनरीक्षण" के पश्चात् अक्षर और शब्द "या किन्हीं अन्य कार्यवाहियों को" बढ़ा दिये जाएंगे ।

आज्ञा से,

20/3/18

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव